बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/20/2018- 1354

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सिद्धार्थ सिंह,
पिता–अनिल सिंह,
ग्राम+पो.–बनकटवा, थाना–जितना,
जिला–पूर्वी चम्पारण।

पटना 14, दिनांक– 27/11/2025

विषय– श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम– धुधुआ के खाता संख्या–60, खेसरा संख्या–637, 638, अंचल–घोड़ासहन में नहर चौक–बनकटवा–घोड़ासहन पथ के HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0060 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– 1. इस कार्यालय का पत्रांक–FC/20/2018-772 दिनांक 23.06.2025
2. इस कार्यालय का पत्रांक 288, दिनांक 18.03.2020
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/32677/2018/3849(H), दिनांक 05.03.2020 एवं

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/32677/2018/3849(H), दिनांक 05.03.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कुल 14 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। तदआलोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया है, परंतु आपके द्वारा अभी तक उक्त का अनुपालन नहीं किया गया है, जो खेद जनक है।

2. इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का आक्कलन रू. 277 प्रति मा.दि. के आधार पर किया गया था। पुनः श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रू. 424 प्रति मा.दि. किया गया है। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रू. 428 प्रति मा.दि. किया गया है।

अतएव सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के कंडिका–2 के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 428/प्रति मा.दि.) के आधार पर रू. 9,18,745/– (नौ लाख अठारह हजार सात सौ पैंतालीस रूपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153150

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू. 428 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार द्वारा NPV के दर में संशोधन किया गया है। तदआलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.0060 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रू. 9,57,780/– प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 5,747/– (पाँच हजार सात सौ सैतालीस रूपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रू. 9,18,745.00 (+) रू. 5,747.00 अर्थात कुल रू. 9,24,492.00 (नौ लाख चौबीस हजार चार सौ बानबे रूपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/32677/2018/3849(H), दिनांक 05.03.2020 में उल्लेखित कंडिका 01 से 14 तक अधिरोपित शर्त्तो का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC/20/2018- 1354 दिनांक 27/11/2025

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 428/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC/20/2018- 1354 दिनांक 27/11/2025

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153150